न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 57/2021

1. भीमसिंह पुत्र गजानन्द
2. राजू पुत्र गजानन्द
समस्त जाति माली निवासी ढाणी टीबा उपर गौशाला रोड बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

3. प्रेम देवी पुत्री गजानन्द पत्नी प्रकाश जाति माली निवासी जाति ढाणी टीबा उपर गौशाला रोड ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल निवासी भिवाडी जिला अलवर (राज.)
4. तीजा उर्फ सीमा पुत्री गजानन्द पत्नी महेश जाति माली निवासी जाति ढाणी टीबा उपर गौशाला रोड ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल निवासी धारूहेडा तहसील धारूहेडा जिला रेवाडी (हरियाणा)

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरूद्व आदेश द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली आदेश दिनांक 23/8/2018 प्रकरण संख्या 3688/2017 बाबत धारा 90ए एलआर एक्ट नामान्तरकरण संख्या 2041 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 02.2.2022

अपीलार्थी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली आदेश 23/8/2018 प्रकरण संख्या 3688/2017 धारा 90ए एलआर एक्ट नामा.सं. 2041 ग्राम बासडी से व्यथित होकर इसके विरूद्व अपील पेश की है जो निम्न भांति पेश की गयी हैः–

1. यह है कि अपीलार्थीगण् व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण् की शामिल खातेदारी की भूमि आराजी हाल ख.नं. 575/0.27, 576/0.45, 576/1446/0.55, 577/0.86, 580/0.41, 581/0.54, 582/0.70, 579/0.01 व 578/0.90 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली में स्थित है। उपरोक्त भूमि पर अपीलान्टगण् व तरतीबी रेस्पोडेन्ट बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है एवं बंटवारे में अपीलान्टगण् व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण के हिस्से में आराजी हाल खसरा नम्बर 578/0.90 वाके मौजा बडाबास आयी है, जिसमें अपीलान्टगण् बतौरहिस्सा काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि में आज दिन तक किसी प्रकार का कोई गैर कृषि कार्य नहीं किया ना ही गैर कृषि कार्य

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

में उक्त भूमि का उपयोग किया परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा बिना अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सूचित किये एवं बिना युक्तियुक्त सुनवायी का अवसर दिये अपीलान्ट व तरतीबी के हिस्से में आयी भूमि ख.नं. 578/0.90 वाके बडाबास की भूमि की धारा 90ए का आदेश पारित कर उक्त भूमि को नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर उक्त भूमि को नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये तथा उसकी अनुपालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा बिना अपीलान्टगण् व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सूचित किये नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 08/3/2018 के द्वारा उक्त भूमि को न0पा0 मण्डल के नाम दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी विधिवत बटवारा कराने के लिए पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुयी जिस पर अपीलान्टगण् ने बिना देरी किये जानकारी से मय दफा–5 मियाद अधिनियम अपील पेश की है।

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 578/0.90 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली की भूमि आज दिन तक अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के उपयोग व उपभोग में आ रही है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना मौके की जांच किये तथा बिना वस्तुस्थिती की जांच किये उपरोक्त भूमि की धारा 90ए एलआर एक्ट की कार्यवाही कर भूमि को नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है।
4. यह है कि आराजी हाल ख.नं. 578/0.90 वाके मौजा बडाबास के अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण् सह खातेदारान् है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण् को बिना सूचित किये व बिना सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अन्तर्गत धारा 90ए एलआर एक्ट के तहत् न0पा0 मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने की भारी भूल की है।
5. यह है कि उपरोक्त आराजी व अन्य आराजी समस्त सह खातेदारान् की शामिल खातेदारी में दर्ज है तथा उनका बिना विधिवत बटवारा किये भूमि का धारा 90ए एलआर एक्ट की कार्यवाही किया जाना किसी भी सूरत में न्याय संगत नहीं है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व जाकर उपरोक्त भूमि की धारा 90ए एलआर एक्ट के तहत् आदेश पारित करने की भारी भूल की है।
6. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पास समस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड है तथा उनके अधिनस्थ पटवारी हल्का को उक्त तथ्य की बखूबी जानकारी है कि भूमि आज दिन तक उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चाही द्वितीय अंकित है यानि भूमि की किस्म आज दिन तक कृषि है। इसके बावजूद नामा.सं. 2041 ग्राम बडाबास राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज करने की भारी भूल की है।
7. यह है कि अपीलान्टगण् व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण् को उपरोक्त भूमि की धारा 90ए एलआर एक्ट के आदेश होने की जानकारी आराजी हाल खसरा नम्बर 575/0.27,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

576/0.45, 576/1446/0.55, 577/0.86, 580/0.41, 581/0.54, 582/0.70, 579/0.01 व 578/0.90 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली का पक्षकारान् के मध्य विधिवत बटवारा किये जाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 13/12/2021 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुयी जिस पर अपीलान्ट ने बिना देरी किये उपरोक्त आदेश व नामा. की नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील मय दफा–5 जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

8. यह है कि अपील निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है, जिसको सुनने व तय करने का अधिकार श्रीमान् को हासिल है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली आदेश दिनांक 23/8/2018 प्रकरण संख्या 3688/2017 बाबत धारा 90ए एलआर एक्ट नामा.सं. 2041 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली को निरस्त कर आराजी हाल ख.नं. 578/0.90 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिती बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

9. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश हुयी रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री रणजीत ऑफिस कानूनगो उपस्थित आये।

10. बहस अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी हाल ख.नं. 575, 576/0.45, 576/1446, 577, 580, 581, 582, 579, 578 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली में स्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हिस्से में 578/0.90 वाके मौजा बडाबास आयी है। उक्त भूमि आज दिनांक तक बतौर कृषि भूमि के काम आ रही है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा आज दिन तक किसी प्रकार का कोई गैर कृषि कार्य नहीं किया ना ही गैर कृषि कार्य हेतु उपरोक्त भूमि का उपयोग किया है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा बिना सूचित किये एवं बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आयी भूमि ख.नं. 578/0.90 वाके मौजा बडाबास की भूमि की धारा 90ए एलआर एक्ट का आदेश पारित कर उक्त भूमि को नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर उसकी अनुपालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा बिना अपीलान्टगण् व तरतीबी को सूचित किये नामा.सं. 2041 दिनांक 08/3/2018 नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज कर दिया जो पारित आदेश विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत है, जो खारिज किया जाने योग्य है, जबकि उक्त भूमि आज दिन तक कृषि भूमि के उपयोग उपभोग मेंकाम आ रही है तथा उपरोक्त आराजी व अन्य आराजी शामलाती खातेदारी है बिना बटवारा कराये धारा 90ए की कार्यवाही नहीं हो सकती है,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विधि विरूद्व जाकर धारा 90ए की कार्यवाही की है वह चलने योग्य नहीं है। पटवारी हल्का को उक्त भूमि की किस्म चाही द्वितीय एवं कृषि उपयोग की जानकारी होते हुये भी नामा.सं. 2041 ग्राम बडाबास का नगरपालिका मण्डल के नाम दर्ज कर दिया जिसने भारी भूल की है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण् को धारा 90ए एलआर एक्ट की जानकारी दिनांक 13/12/2021 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुयी । अपील के संलग्न दफा–5 का प्रा.पत्र पेश किया है। अतः अपीलान्ट की अपील मंजूर की जाकर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के आदेश दिनांक 23/8/2018 प्रकरण संख्या 3688/2017 बाबत धारा 90ए एलआर एक्ट नामा.सं. 2041 वाके ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली को निरस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 578/0.90 वाके मौजा बडाबास कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जावें।

11. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वकील द्वारा अपनी बहस से अवगत कराया कि उक्त खसरा नम्बरान् की 90ए की कार्यवाही बाबत नगरपालिका मण्डल कोटपूतली से जानकारी प्राप्त की गयी तो नगरपालिका मण्डल कोटपूतली कार्यालय की टिप्पणी रिकॉर्ड शाखा की टिप्पणी अनुसार ख.नं. 575/0.27, 576/0.45, 576/1446/0.55, 577/0.86, 580/0.41, 581/0.54, 582/0.70, 579/0.01 व 578/0.90 की 90ए आदेश की कार्यवाही नगरपालिका मण्डल कोटपूतली द्वारा जारी नहीं की है एवं नगरपालिका के डिस्पेच कमांक में 2041 पर 90ए का इन्द्राज दर्ज नहीं है ना ही आदेश की पत्रावली उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित श्री रणजीत ऑफिस कानूनगों ने भी आदेशिका में अंकन किया है कि नामा.सं. 2041 निर्णय दिनांक 08/3/2018 को स्वीकार हुआ है अगर उक्त नामा. खारिज होता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

12. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य एवं सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि नामा.सं. 2041 वाके ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली का नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दिनांक 08/3/2018 को संपरिवर्तन आदेश से भरा जाकर तहसीलदार द्वारा स्वीकार होना पाया गया तथा न0पा0 मण्डल कोटपूतली के आदेश कमांक 3688 दिनांक 23/02/2018 के द्वारा ग्राम बडाबास की भूमि ख.नं. 578 सम्पूर्ण की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्य नहीं होना पाया गया, जबकि वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में अभिकथन किया है कि उक्त आराजी की अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा 90ए की कार्यवाही नहीं करायी है। उक्त भूमि एवं अन्य भूमि शामलात की भूमि है जब तक बटवारा नहीं हो जाता तब तक 90ए की कार्यवाही नहीं हो सकती है। उक्त भूमि कृषि कार्य के उपयोग उपभोग के काम आ रही है। गैर कृषि के रूम में वर्तमान में उक्त भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का को भूमि की किस्म की जानकारी होते हुये भी उक्त नामा. बिना 90ए की कार्यवाही हुये दर्ज किया है जो विधि विरूद्व है। इसलिए अपीलान्ट की अपील मंजूर फरमावें तथा नगरपालिका मण्डल द्वारा की गयी धारा 90ए की कार्यवाही के

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

आदेश तथा नामा.सं. 2041 वाके ग्राम बडाबास को अपास्त किया जाकर आराजी ख.नं. 578 की पूर्व स्थिति बहाल करने के आदेश फरमावें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन करने से एवं नगरपालिका मण्डल कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत की गयी टिप्पणी एवं तहसील कोटपूतली के ऑफिस कानूनगो की रिपोर्ट के अवलोकन करने से तथा वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने से यह स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा उक आराजी ख.नं. 578/0.90 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली के बाबत धारा 90ए की कार्यवाही नहीं करायी गयी है तथा नगरपालिका मण्डल कोटपूतली की टिप्पणी/रिपोर्ट अनुसार उक्त ख.नं. की 90ए आदेश की कार्यवाही न0पा0 मण्डल कोटपूतली द्वारा जारी नहीं की है तथा नगरपालिका कार्यालय के डिस्पेच कमांक 2041 पर 90ए का इन्द्राज दर्ज नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उपस्थित ऑफिस कानूनगो के द्वारा आदेशिका पर अंकन किया है कि यदि नामा.सं. 2041 ग्राम बडाबास तहसील खारिज होता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिती में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली आदेश दिनांक 23/02/2018 कमांक 3688/2017 बाबत धारा 90ए एलआर एक्ट तथा नामा.सं. 2041 वाके ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते हे। हाल खसरा नम्बर 578/0.90 है0 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली को राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व स्थिति अनुसार बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)